

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 273/2019

दायर दिनांक 03.12.2019

वादीगण	वनाम्	प्रतिवादीगण
1. हीराराम दत्तक पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी रिक्साबास तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रतनाराम पुत्र विहारीराम जाति जाट निवासी रिक्साबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

उपरिथत:-

1. श्री हीरसिंह बलाराम वकील, वादी।
2. श्री मो0 रफीक वकील अप्रार्थी सं0 01 की और से।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 07.09.2020

सरहद रिक्सा बास में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा सं0 387 रकबा 0.100 हैक्टेयर, खसरा सं0 388 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा सं0 389 रकबा 1.0700 हैक्टेयर, खसरा सं0 401 रकबा 3.500 हैक्टेयर, खसरा सं. 402 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा सं0 110 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा सं. 111 रकबा 0.1000 हैक्टेयर व खसरा सं0 379 रकबा 2.3400 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बार्डमीट्स एण्ड वाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 11.03.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 708 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 708 दिनांक 19.03.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 273/2019
दायर दिनांक 03.12.2019, निर्णय दिनांक 07.09.2020
हीराराम बनाम रतनाराम, वगैरा।

आदेश


दावा डिक्री सादिर कर, सरहद रिक्शा बास में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा सं० 387 रकबा 0.100 हैक्टेयर, खसरा सं० 388 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा सं० 389 रकबा 1.0700 हैक्टेयर, खसरा सं० 401 रकबा 3.500 हैक्टेयर, खसरा सं. 402 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा सं० 110 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा सं. 111 रकबा 0.1000 हैक्टेयर व खसरा सं० 379 रकबा 2.3400 हैक्टेयर भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 708 दिनांक 19.03.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 708 दिनांक 19.03.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


सह(अंशुल सिंह)क्टर
डीडवाना (R.A.S. नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सरे इजलास सुनाया

गया।


सह(अंशुल सिंह)क्टर
डीडवाना (R.A.S. नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री व मुकदमे में इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 273/2019

दायर दिनांक 03.12.2019

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. हीराराम दत्तक पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी रिक्साबास तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रतनाराम पुत्र बिहाराराम जाति जाट निवासी रिक्साबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत
बन्तवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.


दिनांक 07.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह यलाराम वकील, वादी व श्री मो0 रफीक वकील अप्रार्थी सं0 01 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद रिक्सा बास में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा सं0 387 रकबा 0.100 हैक्टेयर, खसरा सं0 388 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा सं0 389 रकबा 1.0700 हैक्टेयर, खसरा सं0 401 रकबा 3.500 हैक्टेयर, खसरा सं. 402 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा सं0 110 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा सं. 111 रकबा 0.1000 हैक्टेयर व खसरा सं0 379 रकबा 2.3400 हैक्टेयर भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 708 दिनांक 19.03.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 708 दिनांक 19.03.2020, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... वाबत.....-.....
...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.09.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)